भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 297

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

पीडब्ल्यूडी हेतु बीमा

297. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लक्षित स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा योजना क्या है;

(ख) क्या निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना अभी भी चल रही है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर में निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) में शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहु-दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए निरामया (स्वास्थ्य बीमा योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख): जी हां, निरामया (स्वास्थ्य बीमा योजना) अभी भी चालू है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रूपये में)
2021-22	11.38
2022-23	18.14
2023-24	13.87

(ग): महाराष्ट्र के संभाजी नगर में निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित/नवीकृत लाभार्थियों की संख्या 80 है।

(घ): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जो भारत की आर्थिक रूप से सबसे कमजोर 40% जनसंख्या वाले 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने पर दूसरे और तीसरे दर्जे की देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। एबी पीएम-जेएवाई के तहत दिव्यांगजनों को शामिल करने के संबंध में, यह देखा जा सकता है कि इस योजना के लाभार्थी आधार में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी -2011) में पहचाने गए गरीब और कमजोर परिवार शामिल हैं। एसईसीसी-2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वंचन (डेप्रिवेशन) मानदंड शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक मानदंड ''दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं'' है।

*****